UPVR010048052026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं**0-1579/2026**

गुफरान उर्फ बाबर पुत्र स्व० मुख्तार, निवासी पिण्ड्रा, थाना- फूलपुर, जिला- वाराणसी।

**.....**आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य अभियोजन पक्ष,

मुकदमा अपराध संख्या-274/2022
धारा- 504, 506 भा०द० सं०
व 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना- फूलपुर, जिला-वाराणसी।

दिनांक-**06.07.2026**

आवेदक/अभियुक्त गुफरान उर्फ बाबर द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। अभियुक्त न्यायालय के पूर्वादेशानुसार आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त को नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

सक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कमलेश सोनकर ने थानाध्यक्ष फूलपुर को इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि प्रार्थी कमलेश सोनकर पुत्र स्व० फूलचंद सेनकर ग्रा० पिण्डरा, थाना फूलपुर, जनपद-वाराणसी का मूल निवासी है। प्रार्थी वर्तमान समय में ग्राम पिण्डरा का ग्राम प्रधान है। मेरे गाँव के गुफरान उर्फ बाबर आऐं दिन मुझको जाति-सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली देता रहता है। मैं कई बार उसकी बात को सुनकर भी चुपचाप हट जाता हूँ। आज दिनांक 30/06/2022 को सायं काल करीब 18.00 बजे मैं अपने घर के सामने खंडजा मार्ग पर मौजूद था वही पर मेरे ही गाँव के लालचंद पुत्र स्व० रामदेव, सुनील कुमार पुत्र स्व० सीताराम, व लल्लन पुत्र स्व० भुयदर खड़े थे। उसी समय गुफरान उर्फ बाबर आया और सार्वजनिक स्थान पर मुझे माँ बहन की भद्दी-भद्दी गाँली देते हुए कहाँ कि खटीक कुजड़ा की जात साला जब से प्रधान हो गया है बहुत उड़ रहा है किसी दिन इसको सही करना पड़ेगा। जब मैं व मौके पर खड़े लोग गाली-गुप्ता देने से मना किए तो उपरोक्त बाबर ने जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। मुकदमा उपरोक्त में अभियोजन कथानक बिल्कुल असत्य एवं निराधार है। कभी भी अभियुक्त ने न तो वादी मुकदमा को गाली गुप्ता दिया है न ही उसे जान से मारने की धमकी दियाहै और न ही कभी वादी मुकदमा को जातिसूचक अपमान जनक शब्द खटिक कुजड़ा शब्द का प्रयोग ही किया है। आरोपित घटना दिनांक-30.06.2022 को 18:00 बजे की आरोपित की गयी है। आरोपित घटनास्थल से थाना फूलपुर की दूरी मात्र 3 km है जबकि वादी मुकदमा द्वारा घटना की प्राथमिकी रात 1:13 बजे 7 घण्टा विलम्ब से दर्ज कराया गया है। एफ.आई.आर. में हुए विलम्ब का कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। एफ.आई.आर. में हुआ विलम्ब घोर संदेह पैदा

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.07.09 10:40:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करता है। एफ.आई.आर. में सुनील कुमार, लालचन्द व लल्लन सोनकर को साक्षी बनाया गया है जोकि वादी मुकदमा के हेली मेली है और एस.सी./एस.टी. बिरादरी से आते है व वादी मुकदमा के प्रधान होने के नाते उसके साथ रहकर प्रधान का प्रबंधक बनकर लाभ अर्जित करते हैं। उक्त गवाहों का बयान विश्वसनीय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त मौजा पिण्ड्रा का ग्राम पंचायत सदस्य है और ग्राम प्रधान वादी के गलत काम का विरोध कर गलत कार्य से रोकता है और प्रधान के गलत कार्य के विरूद्ध प्रशासन से प्रार्थना पत्र देकर प्रधान को मनमानी करने से रोकता है जिसकी वजह से वादी मुकदमा आवेदक/अभियुक्त से रंजिश रखता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत व मुचलका देने को तैयार है। अतः उसे रिहा किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता देने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। जबकि आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया कि अभियोजन कथानक बिल्कुल असत्य एवं निराधार है। अभियुक्त ने न तो वादी मुकदमा को गाली गुप्ता दिया है न ही उसे जान से मारने की धमकी दिया है और न ही कभी वादी मुकदमा को जातिसूचक अपमान जनक शब्द खटिक कुजड़ा शब्द का प्रयोग ही किया है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अतःमामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त गुफरान उर्फ बाबर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुब०-25,000/-(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे इन शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि अभियुक्त विचारण में सहयोग प्रदान करेगा तथा मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को आतंकित व प्रभावित नहीं करेगा तथा अगली नियत तिथि को सदेह न्यायालय उपस्थित रहेगा। स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा जो जमानत प्रतिभू अंतरिम स्तर पर दाखिल की गयी थीं, वे यथावत बनी रहेंगी। अभियुक्त द्वारा पुनः मुब०-25,000/-(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये।

दिनांक-06.07.2026

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी० एक्ट.
वाराणसी।
जे०ओ० कोड–6256